रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 402] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 15, 2015/अग्रहायण 24, 1937

No. 402] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 15, 2015/AGRAHAYANA 24, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2015

फा. सं. पीएनजीआरबी/सीजीडी/अमेंड/2015/2.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006, (2006 का 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, नामत:-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभण।

(1) इन नियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2015 कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008,-

(क) विनियम 5 के उप-विनियम *(6)* के, खण्ड *(i)* के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित होगा; नामत:-

"(i) बोली प्रस्तुत प्रस्तुत कर्ता कंपनी बोली जमा करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष पूर्ववर्ती की अवधि के दौरान अधिनियम के अध्याय IX के तहत दंडित नहीं की गई हो अथवा उस पर धारा 28 के तहत किसी प्रकार का जुर्माना नही लगाया गया होना चाहिए";

(ख) विनियमन 7 में, उप-विनियम (3) में, शब्दों के लिए "बोली कंपनियों के बीच उच्चतम मिश्रित अंकों के एक-समान होने की स्थिति में ऐसी कंपनियों को अतिरिक्त निविदा बॉन्ड प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा जिसकी राशि पर निर्णय संबंधित कंपनी द्वारा लिया जाएगा तथा जो कंपनी उच्च राशि के लिए निविदा बॉन्ड प्रस्तुत करेगी, उसको सफल बोली दाता घोषित किया जाएगा" शब्दों को "बोलीदाता कंपनियों के बीच उच्चतम मिश्रित अंकों के एक समान होने की स्थिति में प्रस्तुत बोली में उच्चतम अतिरिक्त बोली बॉन्ड कोटकर्ता इकाई को सफल बोलीदाता के रुप में घोषित किया जाएगा। कंपनी जिसे कि सफल घोषित किया जा रहा है, उक्त पत्राचार जारी होने के 21 कार्य दिवसों में, लिखित तौर पर कोट की गई अतिरिक्त बोली बॉन्ड प्रस्तुत करेगी, ऐसा करने में असफल होने पर, इकाई द्वारा प्रस्तुत समग्र बोली बॉन्ड भुना ली या जब्त कर ली जाएगी तथा ऐसे मामले में, उस कंपनी को अतिरिक्त बोली बॉन्ड प्रस्तुति के लिए अवसर प्रदान किया जाएगा जिसकी कि अतिरिक्त बोली बॉन्ड अगली उच्चतमत बोली थी तथा ऐसी कंपनी बोर्ड से लिखित रुप में सूचना प्राप्ति के 21 कार्य दिवसों की अवधि में अतिरिक्त बोली बॉन्ड प्रस्तुत करेगी,जिसके असफल होने पर उस कंपनी द्वारा प्रस्तुत की गई समग्र बोली बॉन्ड भुना ली या जब्त कर ली जाएगी। उपरोक्त प्रक्रिया तब तक दोहराई जाती रहेगी जब तक कि अतिरिक्त बोली बॉन्ड या तो प्राप्त होती हैं अथवा एक समान अंकों वाली कोई भी कंपनी शेष नही रह जाती है:

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां पर कि ऐसा करने के लिए बोर्ड से सूचना प्राप्ति के उपरांत कंपनी अतिरिक्त बोली बॉन्ड प्रस्तुत नही करती है, ऐसी कंपनी को दोषी माना जाएगा और बोली लगाने हेतु न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए वर्जित होगी।" से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) विनियमन 10 में,-

(i) उप-नियम *(1)* में, निम्नलिखित परंतुकों को जोड़ा जाएगा, नामत:-

"बोर्ड निष्पादन बॉन्ड की प्रस्तुति के लिए तारीख में विस्तार कर सकता है बशर्ते कि 15 कार्य दिवसों से अधिक न हो, असफल होने पर आशय का पत्र वापस लिया या निरस्त समझा जाएगा:

इससे आगे बशर्ते कि निस्पादन बॉन्ड निर्धारित अवधि में प्रस्तुत न करने पर बोली बॉन्ड (अतिरिक्त बोली बॉन्ड सहित) भुना ली या जब्त कर ली जाएगी और ऐसी कंपनी को दोषी माना जाएगा और बोली लगाने के लिए न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए वर्जित होगी। इसके आगे अगली अर्हता प्राप्त कंपनी को एक समान अंकों के होने की अवस्था में, आशय पत्र का जारी करना और प्राधिकार की मंजूरी देने के लिए उस ही प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी जैसी कि उपरोक्त विनियम 7 के उप-विनियम (3) में निर्धारित की गई है:

इसके आगे बशर्ते कि इस चरण में एकल बोली रह जाने के मामले में भी, उक्त भौगोलिक क्षेत्र की समग्र बोली प्रक्रिया रद्द होगी और दोषी कंपनी पर बोली लगाने से न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए रोक लगा दी जाएगी।";

(ii) उप-विनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुकों को जोड़ा जाए नामत:-

"बशर्ते कि कंपनी जबतक मुख्यभागीदार बने रहने के लिए पात्रता मानदंड को प्रभावित किए बिना अर्हता प्राप्त नवीन भागीदार को शामिल कर सकती है जैसा कि विनियमों में व्यवस्था की गई है:

आगे बशर्ते कि नवीन भागीदार को शामिल करने के पश्चात, मुख्य भागीदार बने रहने के उद्देशय से, कंपनी की इक्विटि पचास प्रतिशत से अधिक की होगी।";

(iii) उप-विनियम (4) में "तीन वर्षों की अवधि" शब्दों को "पांच वर्ष अथवा न्यूनतम कार्यक्रम की उपलब्धि, जो भी पहले हो", से प्रतिस्थापित होगा;

(घ) विनियम 14 में, उप-विनियम 7 में, खण्ड (क) को हटाया जाए और खण्ड (ख) एवं खण्ड (ग) को खण्ड (क) एवं (ख) के रुप में क्रमश: पुन: क्रमांकित किया जाए:-

(ङ.) विनियमन 19 विनियमन 20 के रुप में पुन: क्रमांकित होगा और जैसा कि विनियमन 20 पुन: क्रमांकित किया गया है के पहले निम्नलिखित प्रविष्ट किया जाएगा, नामत:

"19. **कठिनाइयां दूर करने की शक्ति** – इन विनियमों के किसी भी प्रावधानों को प्रभावी में यदि, कठिनाई उत्पन्न होती है तो बोर्ड सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अधिनियम के उपबंधों से असंगत नही हो और कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से जो भी आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो कुछ भी कर सकता है।";

(च) अनुसूची ग के खण्ड 3 (छ) के शब्दों के लिए "लेटर ऑफ कंफर्ट के पत्रक में प्रवर्तक की वचनबध्दता में कहा गया है कि परियोजना में प्राधिकार की मंजूरी की तारीख से तीन माह के भीतर उनका वित्तीय अंशदान उनके इक्विटि शेयर पूंजी में परिवर्तित कर दिया जाएगा। प्रवर्तक की ओर से लेटर ऑफ कंफर्ट संलग्न करें।", शब्द "लेटर ऑफ कंफर्ट के पत्रक में प्रवर्तक की वचनबध्दता में यह कहा गया है कि परियोजना में प्रवर्तक का योगदान परियोजना वित्त-पोषण अनुसूची के अनुसार चरणबध्द ढंग से शामिल किया जाएगा, आवेदन-सह बोली दस्तावेज में दिए गए प्रपत्र के अनुसार होना चाहिए." से प्रतिस्थापित होगा।

उपमन्यु चटर्जी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./188/15(291)]

पाद टिप्पणी : मूल विनियम सा.का.नि.196(अ.) दिनांक 19/03/2008 के माध्यम से अधिसूचित हुए थे और तत्पश्चात सा.का.नि 800(अ.) दिनांक 19/11/2008, सा.का.नि 295 (अ.) दिनांक 30/04/2009, सा.का.नि 478(अ.) दिनांक 07/06/2010, सा.का.नि 605 (अ.) दिनांक 19/07/2010, फा.सं. पीएनजीआरबी /सीजीडी/ रेग्युलेशंस/रिव्यु-2011/2012-III दिनांक 21/06/2013,एवं फा.सं. पीएनजी आरबी/सीजीडी /बिड / 4/2013-प्रि बिड दिनांक 07/04/2014, फा.सं.एल-मिस/VI/I/2007 दिनांक 01/01/2015, पीएनजीआरबी / सीजीडी/ रेग्युलेशंस / अमेंड / 2015 दिनांक 13/02/2015 के माध्यम से संशोधित किए गए।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2015

F. No. PNGRB/CGD/Amendment/ 2015/2.—In exercise of the powers conferred by section 61 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.

(1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Amendment Regulations, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008,-

(a) in regulation 5,in sub-regulation (*6*), for clause (*i*), the following shall be substituted, namely:-

"(*i*) entity submitting the bid should not have been imposed any penalty under section 28 or punished under Chapter IX of the Act during the period of preceding one year from the last date for submission of the bid";

(b) in regulation 7, in sub-regulation (*3*), for the words "In case of a tie in the highest composite score between the bidding entities, such entities shall be asked to submit additional bid bond for an amount to be decided by the respective entity and the entity that submits bid bond for higher amount shall be declared as successful bidder", the words "In case of a tie in the highest composite score between the bidding entities, the entity which has quoted the highest additional bid bond in the bid submitted shall be declared as successful bidder. The entity on being declared successful, through a written communication, shall submit the quoted additional bid bond within 21 working days from the issuance of the said communication, failing which the entire bid bond submitted by the entity shall be encashed or forfeited and in such a case, an opportunity to submit the additional bid bond shall be offered to the entity whose quote for the additional bid bond was next highest and such an entity shall submit thc quoted additional bid bond, within 21 working days of such intimation in writing from the Board, failing which the entire bid bond submitted by that entity shall be encashed or forfeited. The above process shall be repeated till additional bid bond is either received or no entity in a tie is left out:

Provided that in such a case where an entity does not submit the additional bid bond upon receiving intimation to do so from the Board such entity shall be considered at default and shall be barred for a minimum period of three years from bidding." shall be substituted;

(c) in regulation 10,-

(i) in sub-regulation (*1*), the following provisos shall be added, namely:-

"Provided that the Board may extend the date for submission of Performance Bond for a period not exceeding 15 working days failing which LOI shall deemed to be withdrawn or cancelled:

Provided further that in case of non submission of Performance Bond within the stipulated time the bid bond (including additional bid bond) shall be forfeited or encashed and such entity shall be considered at default and shall be barred for a minimum period of three years from bidding. Further, the process of issuance of LOI and grant of authorization to the next qualified entity at the stage of tie shall be carried out in the same manner as prescribed in sub-regulation (*3*) of regulation 7:

Provided also that, in case of single bid remaining at this stage, the entire bidding process for the said geographical area shall be annulled and the defaulting entity shall be barred for a

minimum period of three year from bidding.";

(ii) in sub-regulation (*3*), the following provisos shall be added, namely:-

"Provided that the entity may induct eligible new partner as long as it remains a lead partner without impacting the eligibility criteria as provided in the regulations:

Provided further that, for the purpose of remaining to be a lead partner, the entity shall have equity of more than fifty per cent. after inducting the new partner.";

(iii) in sub-regulation (4), for the words "three years period", the words "five years or till achievement of Minimum Work Programme, whichever is earlier" shall be substituted;

(d) in regulation 14, in sub-regulation (*7*), clause (*a*) shall be omitted and clause (*b*) and clause (*c*) shall be renumbered as clause (*a*) and clause (*b*) respectively;

(*e*) regulation 19 shall be re-numbered as regulation 20 and before regulation 20 as so re-numbered, the following shall be inserted, namely:-

"19. **Power to remove difficulties –**

If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these regulations, the Board may, by general or special order, do anything not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose or removing difficulties.";

(f) In clause 3(G) of Schedule C, for the words "Promoters undertaking in the form of letter of comfort stating that their financial contribution in the project shall be converted into equity share capital within three months of the date of grant of authorization. Enclose the letter of comfort from the promoters.", the words "Promoters undertaking in the form of letter of comfort stating that promoter's contribution in the project shall be infused in a phased manner as per the project financing schedule as per the format given in the application cum bid document." shall be substituted.

IndiaCode

UPAMANYU CHATTERJEE, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./188/15(291)]

Foot Note: Principal regulations were notified vide no. G.S.R. 196(E) dated 19th March, 2008 and subsequently amended vide G.S.R. 800 (E) dated 19th November, 2008, G.S.R. 295 (E) dated 30th April, 2009, G.S.R. 478(E) dated 7th June, 2010, G.S.R. 605 (E) dated 19th July, 2010, F. No. PNGRB/CGD/REGULATIONS/REVIEW-2011/2012-III dated 21st June, 2013, F. No. PNGRB/CGD/BID/4/2013-PRE BID dated 7th April, 2014, F. No. L-MISC/VI/I/2007 dated 1st January, 2015 and F. No. PNGRB/CGD/Regulations/Amend/2015 dated 13th February 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.